न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2023-250RAAJodhpur2023-123RTA223 Jhumarlal ors Vs Hamiraram etc

01. झुमरलाल उर्फ झुमरराम पुत्र श्री रामूराम जाति जाट निवासी गगाडी, तहसील तिंवरी जिला जोधपुर।
02. हरकू पत्नी श्री रामूराम, जाति जाट निवासी गगाडी तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. हमीराराम पुत्र श्री बुधाराम, जाति जाट निवासी गगाडी तहसील तिवरी, जिला जोधपुर।
2. तहसीलदार तिवरी, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07 नंवबर 2022 सहायक कलक्टर औसियां राजस्व मूल वाद संख्या 14/2022 हमीराराम बनाम झुमरलाल इत्यादि

उपस्थित–
श्री माधवराज चौधरी, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता–रेस्पोडेंट संख्या एक
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या दो

नि र्ण य

दिनांक : 07 मार्च 2025

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर औसियां द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 14/2022 अनवान हमीराराम बनाम झुमरलाल इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07 नवंबर 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 18 जुलाई 2023 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 452/1 रकबा 029251

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

हैक्टेयर ग्राम गगाड़ी तहसील तिंवरी के संबंध में धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद इस आशय का पेश किया कि वादी की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नं. 452/1 रकबा 02.9251 हैक्टेयर के चिपते पूर्वी सीमा पर खसरा संख्या 455 रकबा 04.6134 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी/अपीलार्थीगण संख्या 1 की खातेदारी भूमि स्थित है एवं खसरा संख्या 455/3 रकबा 04.6377 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी/अपीलार्थीगण संख्या 2 की खातेदारी भूमि स्थित है। वादी के संयुक्त खातेदारी के खसरा संख्या 452/1 रकबा 02.9251 हैक्टेयर भूमि एवं प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 की खसरा संख्या 455 एवं 455/3 की भूमि के मध्य कदीमी कणा माठ कायम है। प्रतिवादीगण द्वारा 40–50 वर्ष से अधिक समय पूर्व से ही अपनी सीमा पर कदीमी 5–6 फिट उंची दीवार बनाई हुई है। उक्त दीवार के पास ही वादी के पक्के मकान, बाडा, टाके, भण्डारण गृह व पानी के होद बने हुए है। तथा वादी के दो नलकूप खुदे हुए है, जिन पर वादी ने विद्युत कनेक्शन ले रखा है, जो वादी के कब्जा एवं स्वामित्व का है। दिनांक 15.07.2022 को वादी ने अपने खातेदारी भूमि के राजस्व नक्शे को गुगल पर ट्रेस कर नकल लेने पर ज्ञात हुआ कि वादी के कब्जे काश्त की भूमि जिस पर वादी के नलकूप, टांका, बाड़े एवं भण्डार गृह बने हुए है, वह हिस्सा करीबन 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि वादी के खसरा संख्या 452/1 के राजस्व नक्शे का हिस्सा नही होकर प्रतिवादीगण के खसरा संख्या 455 व 455/3 का हिस्सा है, जबकि उक्त भूमि पर वक्त सैटलमेन्ट के पूर्व से ही वादी एवं उसके पूर्वजो का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी ने अन्त में अपने वाद में खसरा संख्या 455 एवं 455/3 की रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि में अपने खातेदार अधिकार घोषित करने तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित करने का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16 अगस्त 2022 के वादी का वाद स्वीकार कर अपीलार्थी–प्रतिवादीगण संख्या 1 एवं 2 के खातेदारी के खसरा संख्या 455 एवं 455/3 की रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि वादी की खातेदारी की भूमि घोषित कर अपीलार्थी–प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित कर दी गई है, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट्स वादग्रस्त आराजीयात के रेकर्डेड खातेदार काश्तकार है तथा मौके पर काबिज काश्त है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी किये गये सम्मन अपीलांट्स/प्रतिवादीगण पर सम्यक एवं विधिववत रूप तामील नहीं करवाये है। अपीलार्थीगण–प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 अपनी खसरा संख्या 455 में बनी अपनी रहवासी ढाणी में ही अपने परिवार सहित निवास करते है, जहां पर कभी भी कोई तामील सवार न्यायालय के द्वारा जारी किये गये सम्मन लेकर नहीं आया था। न्यायालय की पत्रावली में से सम्मन की नकल लेने पर अपीलार्थीगण को ज्ञात हुआ है कि सम्मनों में चस्पानगी की रिपोर्ट की हुई है, परन्तु उक्त सम्मन की चस्पानगी क्यों की गई, इस बाबत किसी भी तरह की कोई रिपोर्ट नहीं है। चस्पानगी में जिन दो व्यक्तियो के गवाह के रूप में हस्ताक्षर करवाये गये उनमें से एक गवाह किशनाराम वादी का कजन भाई एवं दूसरा गवाह दौलतसिंह वादी के मिलने वाला व्यक्ति है, जिन्होने जानबुझकर उक्त गलत चस्पानगी रिपोर्ट तैयार करवाई गई है। अधिनस्थ न्यायालय ने तामील सवार के कथन लेखबद्ध किये बिना तथा उक्त सम्मन पर तामील बाबत अपना निष्कर्ष दिये बिना ही अपीलार्थी–प्रतिवादीगण संख्या 1 एवं 2 के सम्मन तामिल शुदा होना मानकर शामिल पत्रावली किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश 5 नियम 17 एवं 19 की पालना किये बिना ही अपीलार्थी–प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 पर सम्मन तामील मानकर अपीलार्थी–प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। इस कारण अपीलार्थी–प्रतिवादीगण संख्या 1 एवं 2 सनुवाई के विधिक अधिकार से वंचित हो गये। प्रत्यर्थी संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत वाद को विचारण न्यायालय द्वारा बिना किसी समुचित साक्ष्य के अपीलार्थीगण–प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की खसरा संख्या 455 एवं 455/3 की रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर वक्त सैटलमेन्ट से वादी/रेस्पो. का कब्जा काश्त सिद्ध होना मानकर अपीलार्थी प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 के खसरा संख्या 455 एवं 455/3 की रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि के बाबत वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया गया है, जबकि अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है, जिससे प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी का अपीलार्थीगण की खातेदारी की भूमि में से रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर वक्त सैटलमेन्ट से कब्जा काश्त होना साबित हो। प्रत्यर्थी सख्या

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

1/वादी खसरा संख्या 452/1 रकबा 02.9251 हैक्टेयर भूमि में लिछमणराम वगैरा के साथ में सह खातेदार है तथा खसरा संख्या 452/1 में स्थित उक्त भूमि वादी तथा लिछमणराम वगैरह की संयुक्त कब्जा काश्त की भूमि है। उक्त भूमि का इनके सभी सह–खातेदारों में आपस में विधिवत रूप से बंटवाडा नहीं हो रखा है, इसलिए वादी द्वारा विद्वान अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये घोषणा के वाद में सभी सह खातेदार आवश्यक पक्षकार थे, जिनको प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी ने अपने वाद में पक्षकार मुकदमा के रूप में संयोजित नहीं किया है। वादी का वाद आवश्यक पक्षकार को संयोजित नही किये जाने के दोष से ग्रसित था तथा डिक्री किये जाने के योग्य नही था, क्योंकि वादी ने अपने वादपत्र में उक्त भूमि पर वक्त सैटलमेन्ट से पूर्व अपना एवं अपने पूर्वजो का कब्जा काश्त होने तथा पजेशन के आधार पर अपीलार्थीगण की भूमि पर अपने खातेदारी अधिकार घोषित करने हेतु प्रस्तुत किया गया था। अतः उक्त वाद में सभी सह खातेदार उचित एवं आवश्यक पक्षकार थे जिनको प्रत्यर्थी सख्या 1/वादी ने अपने वाद में पक्षकार नहीं बनाया था। अधीनस्थ न्यायालय ने आनन–फानन में बिना किसी तरह की विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना ही प्रत्यर्थी संख्या संख्या 1/वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद को डिक्री कर अपीलार्थीगण के कब्जा काश्त एवं खातेदारी की खसरा संख्या 455 एवं 455/3 में स्थित भूमि में से रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि का प्रत्यर्थी संख्या 1 वादी को खातेदार घोषित कर प्रत्यर्थी संख्या 1 वादी के पक्ष में एवं अपीलार्थीगण प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी पारित की गई है, जिससे स्पष्ट है कि आलौच्य निर्णय एवं डिक्री पारित करते समय विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने विधि की सुस्थापित प्रक्रिया की पालना नही की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री न्यायहित में निरस्त किये जाने योग्य है। यह उल्लेखनीय प्रतिवादी संख्या तीन तहसीलदार तिंवरी द्वारा मामले में जवाब प्रस्तुत किया जाना था, इसके बावजूद भी विद्वान अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा बिना किसी विधिक कारण के प्रतिवादी संख्या 3 को जबाब का समय नही दिया जाकर पत्रावली को साक्ष्य वादी में नियत रख दी गई, जिससे यह बखूबी प्रमाणित है कि इस प्रकरण में विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने विधि के सुस्थापित सिद्धान्तो की अनदेखी कर आनन फानन में उक्त निर्णय एवं डिकी पारित की गई है जो विधिक प्रावधानों के विरूद्ध होने सें अपास्त किये जाने योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि आलौच्य निर्णय एवं डिकी दिनांक 07.11.2022 की जानकारी अपीलार्थी–प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 को दिनाक 15.07.2023 को हुई, जब अपीलार्थी झुमरराम सरकारी अनुदान प्राप्त करने के लिए हल्का पटवारी से अपने उक्त खसरान में स्थित भूमि की जमाबन्दी इत्यादि की नकले प्राप्त की। जमाबन्दी की नकल में नामान्तरण संख्या 1982 दिनांक 14.07.2023 न्यायालय आदेश उल्लेखित किया गया था, जिस पर अपीलार्थीगण ने दिनांक 17.07.2023 को विद्वान अधिनस्थ न्यायालय से आलौच्य निर्णय एव डिक्री दिनांक 07.11.2022 की तथा पत्रावली की अन्य नकले प्राप्त कर अविलम्ब यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलांट्स द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी का उचित सद्भाविक एवं माकूल कारण है। तकनीकी आधार पर किसी भी पक्षकार को न्याय से वंचित किया जाना न्यायोचित नहीं होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा भी समय समय पर विधि का यह सिद्धांत सुस्थापित किया गया है कि देरी में सद्भाविक एवं पर्याप्त कारण होने एवं गुणावगुण पर सुदृढ़ मामला हाने पर न्यायालय को देरी के तकनीकी आधार पर नहीं जाना चाहिए। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थीगण के पास देरी का सद्भाविक एवं पर्याप्त कारण है तथा मामला गुणावगुण पर सुदृढ है। इसलिए अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को न्यायहित में क्षम्य किया जाना न्यायोचित है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट्स अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को अपास्त फरमाया जावे। वकील अपीलांट्स द्वारा अपनी बहस के समर्थन में आर.आर.टी. 2011(2) 721 की न्यायिक नजीरे पेश की।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि रेस्पोडेंट संख्या एक वादग्रस्त आराजी के रकबा 02 बीघा 10 विस्वा पर वक्त सेटलमेंट से ही काबिज काश्त है तथा मौके पर रेस्पोडेंट संख्या एक का रहवासीय मकान, ट्यूबवेल एवं पानी के हौद बने हुए है, जिसकी पुष्टि तहसीलदार तिंवरी की मौका रिपोर्ट दिनांक 06.06.2024 एवं रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा प्रस्तुत छायाचित्रों से होती है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स द्वारा सम्मनों की सम्यक तामील करवाये जाने के बावजूद भी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

वे विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित की है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने में हुए विलंब का प्रश्न है। विचारण न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में विहित प्रावधानों अनुसार अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये बिना तथा बिना किसी चस्पानगी आदेश के तामील कुनिंदा की सम्मन पर चस्पानगी की रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट्स के विरूद्ध तामील मानते हुए उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने से अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की समय पर जानकारी नहीं होना लाजमी है। लिहाजा मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

मामले के गुणावगुण पर विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवतः 2074–2077 ग्राम गगाड़ी तहसील तिंवरी के अवलोकन से प्रकट होता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 455 रकबा 4.6134 हैक्टेयर, खसरा नं. 455/3 रकबा 4.6377 हैक्टेयर क्रमशः अपीलांट संख्या एक व दो के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। वादी/रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजीयात के रकबा 2.10 बीघा भूमि पर वक्त सेटलमेंट से अपना कब्जा काश्त होना बताते हुए एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा है। वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में गुगल मैप की फोटो प्रति पेश की जो कानूनन विश्वसनीय एवं ठोस साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आने से बतौर साक्ष्य स्वीकार योग्य नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा वादी के वाद को बिना किसी पुष्ट एवं विश्ससनीय साक्ष्य के केवल सुपर–इम्पोज गुगल नक्शे को आधार मानते हुए एडवर्स

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पजेशन के आधार पर रकबा 2.10 बीघा के खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है। 2011(2) आर.आर.टी. 721 में माननीय राजस्व मण्डल की खण्ड–पीठ ने यह प्रतिपादित किया है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर काश्तकारी अधिकार प्रदान करने का प्रावधान नहीं है तथा न्यायालय काश्तकारी अधिकार प्रदान नहीं कर सकते है। विचारण न्यायालय द्वारा माननीय की खण्ड पीठ द्वारा धारित मत एवं विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर वादी को वादग्रस्त आराजी में एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान कर अपीलांट्स को उनके खातेदारी अधिकारों से महरूम किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री बिना किसी दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर विधिक प्रावधानों एवं प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतो के विपरीत पारित किये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर औसियां द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 14/2022 अनवान हमीराराम बनाम झुमरलाल इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07 नवंबर 2022 खारिज किये जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत अपीलांट्स को जवाबदावा प्रस्तुति का अवसर प्रदान कर, वाद एवं जवाब के आधार पर मामले में तनकीयात कायम कर उस पर उभय पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुति का अवसर प्रदान करते हुए उभय पक्ष की समुचित सुनवाई उपरांत मामले का पुनः विधिसम्मत निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर